राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः एफ17(8)66 / रा.ज.आ.प्रा. / पीएमयू / 2024–00227 दिनांकः 20.08.2026

जन आधार नामांकन एवं इसमें अद्यतन की मानक संचालन प्रक्रिया

(Standard Operating Procedure)

1. नया जन आधार नामांकन

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए **जन आधार पहचान संख्या**[1] आवश्यक है। *सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार अथवा आधार के जरिए अपनी पहचान साबित करना (Authentication) जरूरी है।* यदि किसी के पास यह आईडी नहीं है, तो उसे **नवीन जन आधार नामांकन** हेतु आवेदन करना होगा।

इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार **राजस्थान में निवास करने वाला**[2] प्रत्येक परिवार अपने **मुखिया**[3] के जरिए जन आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। सत्यापन के बाद परिवार को एक 10 अंकीय जन आधार परिवार[4] पहचान संख्या (आई.डी.) प्रदान किया जाएगा

धारा 7 के अनुसार जन आधार परिवार पहचान संख्या 10 अंक की एक रैंडम संख्या है जिसे बदला नहीं जा सकता। *इसे पहचान और पते के सबूत के रूप में मान्य किया गया है।*

---

[1] *परिवार की पहचान के लिए जारी किया गया एक 10 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर।*

[2] *वह व्यक्ति जो पिछले 6 महीने से राजस्थान के किसी स्थानीय क्षेत्र में रह रहा है या अगले 6 महीने तक रहने का इरादा रखता है।*

[3] *परिवार के सदस्यों द्वारा चुनी गई 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला। विशेष स्थिति: यदि परिवार में 18+ वर्ष की महिला नहीं है, तो 21+ वर्ष के पुरुष को तब तक मुखिया बनाया जा सकता है जब तक कोई महिला पात्र न हो जाए।*

[4] *खून के रिश्ते, शादी या गोद लेने के माध्यम से साथ रहने और साथ भोजन करने वाले सदस्यों का समूह।*

1.1 जन आधार नामांकन कैसे करें :-

1.1.1 **एसएसओ आई.डी. (SSO ID) के माध्यम से :-** मुखिया या वयस्क सदस्य के द्वारा स्वयं की एसएसओ आई.डी. (SSO ID) के G2C सेवाओं में जन आधार एप्लीकेशन पर उपलब्ध ***Family Enrollment*** विकल्प पर जाकर संबंधित सूचना एवं दस्तावेज के आधार पर जन आधार नामांकन किया जा सकता है।

1.1.2 **ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से :-** मुखिया या परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर संबंधित सूचना तथा दस्तावेज प्रस्तुत कर जन आधार नामांकन कर सकता है।

1.1.3 नये जन आधार नामांकन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

1.2 जन आधार नामांकन हेतु फ़ील्ड्स एवं दस्तावेज : -

1.2.1 अनिवार्य फ़ील्ड्स एवं दस्तावेज-

1.2.1.1 मुखिया एवं पाँच वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्यों की e-kyc हेतु आधार संख्या (e-kyc से मुखिया/सदस्य का नाम, जन्मतिथि, लिंग और फोटो जन आधार में समाहित किया जाता है) आवश्यक है।

1.2.1.2 यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो आधार के अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र से भी e-kyc की जा सकती है जिसमें मुखिया/सदस्य का नाम, जन्मतिथि, लिंग इत्यादि को जन आधार में दर्ज किया जा सकता है। (वैकल्पिक)

1.2.1.3 पाँच वर्ष तक की आयु के सदस्यों की e-kyc हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है यदि बच्चे का जन्म राजस्थान से बाहर हुआ है तो e-kyc हेतु आधार संख्या अनिवार्य है । इस स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना आवश्यक है

1.2.1.4 किसी मुखिया/सदस्य की आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र दोनों में जन्म तिथि एक समान होनी चाहिए। आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि की भिन्नता होने पर जन्म प्रमाण पत्र की जन्म तिथि मान्य होगी ।

1.2.1.5 **मोबाइल नंबर**:- परिवार के मुखिया के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है । परिवार के सभी सदस्यों के मोबाईल नम्बर भी दर्ज किये जा सकते है । यह मोबाइल नंबर otp द्वारा सत्यापित होने के बाद दर्ज किया जाएगा ।

1.2.1.6 **बैंक खाता विवरण:-** परिवार के मुखिया बनने हेतु IFSC कोड वाला वैध व्यक्तिगत बचत (Individual Saving Bank Account) बैंक खाता होना आवश्यक है- इस हेतु चेक/ बैंक की पासबुक/ बैंक स्टेटमेंट की प्रति जिसमें खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या तथा IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो । परिवार के अन्य सदस्यों का IFSC कोड वाला वैध व्यक्तिगत बचत (Individual Saving Bank Account) बैंक खाता दर्ज कराया जा सकता हैं

1.2.1.7 सभी विवरण अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

1.2.1.8 e-kyc से मुखिया/सदस्य का नाम यदि हिंदी के स्थान पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज अन्य भारतीय भाषा जैसे गुजराती, पंजाबी, तमिल इत्यादि में नाम आ रहा है तो उसे संशोधित कर हिंदी में दर्ज करना आवश्यक है साथ ही अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित होकर (translate) गलत नाम आ रहा है तो उसे भी उसी समय संशोधित कर सही किया जा सकता है ।

1.2.1.9 पाँच वर्ष तक की आयु के सभी सदस्यों के पासपोर्ट साइज के फोटो ।

1.2.1.10 **पते का दस्तावेज-** पते के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मान्य:

- आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, बीपीएल कार्ड, विद्युत/जल/दूरभाष बिल (तीन माह से पुराना नहीं), एलपीजी कनेक्शन डायरी, बैंक/डाकघर के खाते की पासबुक, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथपत्र, किराया नामा ।

1.2.1.11 **आय का विवरण** – नवीन जन आधार नामांकन अथवा किसी जन आधार में नया सदस्य जोड़ने पर केवल व्यस्क सदस्यों की आय का विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। अव्यस्क सदस्यों की आय का विवरण दर्ज करना अनिवार्य नहीं है।

वांछित दस्तावेज – केवल व्यस्क सदस्यों की स्थिति में निम्न में से कोई एक दस्तावेज उपलोड करना अनिवार्य

- राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का प्रारूप
- आई टी आर

1.2.1.12 **जाति का विवरण –** नवीन नामांकन हेतु केवल स्वघोषित जाति दर्ज करना ही पर्याप्त है, जाति प्रमाण पत्र उपलोड करने का पोर्टल पर कोई विकल्प उपलब्ध नहीं करवाया गया है

नोट: राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो जाति पर आधारित है का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है इस हेतु जन आधार में दर्ज सूचनाओं के आधार पर ईमित्र पोर्टल से जाति प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। ईमित्र पोर्टल से जाति प्रमाण पत्र जारी होते ही संबंधित के जन आधार में रिवर्स सीडिंग द्वारा जाति एवं जाति प्रमाण पत्र संख्या स्वतः ही अपडेट हो जाती है।

1.2.1.13 **व्यवसाय का विवरण (Occupation)-** आवेदक को अपने व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं ड्राप- डाउन में से दर्ज करनी होंगी। यह स्व घोषित होगी जिसके लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

Central Govt. Emp. | केन्द्रीय कर्मी

PSU/bank Emp. | सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक कर्मी

Professional | पेशेवर

Private Company | निजी क्षेत्र कर्मी

Self-Employed | स्वनियोजित

Businessman | व्यवसायी

Labourer | श्रमिक

Farmer | कृषक

Unemployed | बेरोजगार

Home Maker | गृहिणी

Unorganized Worker | असंगठित श्रमिक

Student | विद्यार्थी

1.2.1.14 **शिक्षा का विवरण (Education)-** आवेदक को अपनी शिक्षा से संबंधित सूचनाएं ड्राप- डाउन में से दर्ज करनी होंगी। यह स्व घोषित होगी जिसके लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

Illiterate | निरक्षर

Literate | साक्षर

5 Pass | प्राथमिक

8 Pass | उच्च प्राथमिक

10 Pass | सेकेंडरी

12 Pass | उच्च माध्यमिक

Diploma | डिप्लोमा

Graduate | स्नातक

Post Graduate | स्नातकोत्तर

Professional Education| पेशेवर शिक्षा

1.3 अन्य निर्देश-

1.3.1 अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज का प्रकार – केवल .pdf

1.3.2 अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज का आकार – 1MB से कम

1.3.3 अपलोड फोटो का प्रकार - .jpg/.jpeg/.png

1.3.4 अपलोड फोटो का आकार - 50KB से कम

1.3.5 जन आधार नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया संलग्न ***यूजर मैनुअल – 1*** में विस्तार से समझायी गयी है।

1.4 सत्यापन –

1.4.1 जन आधार नामांकन के लिए आवेदक द्वारा जन आधार पोर्टल पर दर्ज की गयी सूचनाओं का प्रथम एवं द्वितीय स्तरीय सत्यापकों द्वारा सत्यापन कराया जायेगा तदुपरान्त ही 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या एवं 11 अंकीय जन आधार व्यक्तिगत पहचान संख्या जारी की जायेगी |

1.4.2 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रथम एवं द्वितीय स्तरीय सत्यापनकर्ताओं का विवरण निम्नानुसार है –

क्षेत्र	प्रथम स्तरीय सत्यापन	द्वितीय स्तरीय सत्यापन
ग्रामीण क्षेत्र (ब्लॉक स्तर)	ग्राम विकास अधिकारी	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी
शहरी क्षेत्र (नगर निकाय)	नगरीय निकायों के आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी	उपखण्ड अधिकारी

1.4.3 सत्यापन की कार्यव्यवस्था निम्नलिखित प्रकार से रहेगी:

- **ग्रामीण क्षेत्र:** ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रथम सत्यापन के उपरांत प्रकरण निर्धारित समयावधि 10 दिवस में द्वितीय सत्यापन हेतु संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जायेगा।
- **शहरी क्षेत्र:** नगरीय निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/अधिषाषी अधिकारी द्वारा प्रथम सत्यापन उपरांत प्रकरण निर्धारित समयावधि 10 दिवस में द्वितीय सत्यापन हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जायेगा।
- **समय सीमा:** वर्तमान में दोनों स्तर के सत्यापन हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के परिपत्र-9 दिनांक 09-07-2025 के अनुसार 10-10 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गयी है।
- **बैक विवरण का सत्यापन:** आवेदक द्वारा बैंक से संबंधित दर्ज की सूचनाओं का सत्यापन NPCI (National Payments Corporation of India) से होने के उपरांत ही जन आधार डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा।

1.4.4 **ई-कार्ड डाउनलोड करना -** 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या जारी होने के उपरांत sso id / मोबाइल एप्लीकेशन अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से मोबाइल पर आने वाले otp सत्यापन के बाद ई-कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त ई-कार्ड पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। जिसे मुखिया के नाम के शुरू के 4 अक्षर और जन्म दिनांक व् माह डाल कर उसे देख सकते है। जैसे किसी जन आधार परिवार में मुखिया का नाम SANTOSH DEVI है एवं जन्म दिनांक 20.01.1970 है तो जन आधार ई-कार्ड का पासवर्ड SANT2001 होगा।

2. नया सदस्य जोड़ना-

किसी जन आधार परिवार में किसी नये सदस्य को केवल जन्म, गोद लेने, जन आधार परिवार में नाम जोड़ने से छूटे हुए सदस्य एवं विवाह के कारण जोड़ा जा सकता है।

2.1 दस्तावेज :-

- **जन्म के कारण** – जन्म प्रमाण पत्र
- **गोद लेने के कारण** – विधिमान्य गोदनामा
- **नाम जोड़ने से छुटा हुआ सदस्य**- आधार कार्ड
- **विवाह के कारण** – विवाह प्रमाण पत्र

2.2 प्रक्रिया :-

2.2.1 किसी जन आधार परिवार में नये सदस्य को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है जैसे स्वतः जोड़ना (Auto Addition) एवं नामांकन की सामान्य प्रक्रिया द्वारा

2.2.2 **स्वतः जोड़ना (Auto Addition) - इस** मोड्यूल से केवल उन नवजात शिशुओं का नाम उनकी माता के जन आधार में जोड़ा जा सकता है जिनका जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान पहचान पोर्टल से जारी हुआ है तथा इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है ।

- पहचान पोर्टल से नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही नवजात शिशु की माता के जन आधार परिवार में बिना नाम एवं फोटो के स्वतः ही जुड़ने का प्रावधान किया गया है ।
- पहचान पोर्टल से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र के नामांकन फॉर्म में शिशु की माता का आधार संख्या एवं जन आधार सदस्य संख्या (Member Id) दर्ज करना आवश्यक है साथ ही जन आधार में माता से संबंधित सूचना आधार से अधिप्रमाणित होनी चाहिए।
- नवजात शिशु का वास्तविक नाम उपलब्ध होने तक जन आधार में शिशु का नाम स्वतः जोड़ने हेतु उसका नाम बेबी ऑफ माता का नाम रखा गया है।
- नवजात शिशु का वास्तविक फोटो उपलब्ध होने पर जन आधार में एडिटिंग प्रोफाइल (Profile Editing) मोड्यूल द्वारा फोटो अपडेट किया जा सकता है ।

- जन्म प्रमाण पत्र में शिशु का नाम अद्यतन कराने पर पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने पर जन आधार में नाम स्वतः ही अद्यतित हो जाता है ।

2.2.3 **एसएसओ आई.डी. (SSO ID) के माध्यम से :-** परिवार का मुखिया या वयस्क सदस्य के द्वारा स्वयं की एसएसओ आई.डी. (SSO ID) के G2C सेवाओं में जन आधार एप्लीकेशन पर उपलब्ध ***Family Enrollment*** विकल्प में सदस्य जोड़ने का विकल्प दिया गया है।

2.2.4 नये सदस्य को जोड़ने का यह विकल्प जन आधार परिवार पहचान संख्या अथवा जन आधार आईडी इन्द्राज कर परिवार के किसी वयस्क सदस्य/मुखिया द्वारा आधार अधिप्रमाणन के बाद उपलब्ध होता है। इस विकल्प से वांछित पात्रता एवं दस्तावेज के आधार पर उस जन आधार परिवार में नया सदस्य जोड़ा जा सकता है ।

2.2.5 **ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से :-** मुखिया या परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर वांछित पात्रता से संबंधित सूचना तथा दस्तावेज प्रस्तुत कर उस जन आधार परिवार में नया सदस्य जोड़ सकता है।

2.2.6 जन आधार परिवार में नया सदस्य जोड़ने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

2.2.7 यदि जन आधार में जुड़ने वाला नया सदस्य 5 वर्ष से कम उम्र का है उस स्थिति में kyc करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी (यदि जन्म प्रमाण पत्र, राजस्थान पहचान पोर्टल से जारी हुआ है)

2.2.8 परिवार में जिस नये सदस्य को जोड़ा जाना है उसका आधार/वर्चुअल आईडी और जन्म प्रमाण पत्र (5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए) का उपयोग करके आधार e-KYC करनी होगी।

2.2.9 आधार और जन्म प्रमाण पत्र दोनों को एक साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन सुनिश्चित करें कि दोनों दस्तावेज़ों में नाम, जन्म तिथि और लिंग बिल्कुल मेल खाते हों।

2.2.10 यदि सदस्य (5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए) का जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान से बाहर का है, तो आधार e-KYC अनिवार्य है।

2.2.11 आधार सत्यापित होने के बाद, सदस्य का नाम, जन्म तिथि, लिंग और फोटो स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाएँगे और सूची में दिखाई देंगे।

2.2.12 जन आधार में सदस्य को जोड़ने के समय जाति एवं आय दर्ज करने की शर्तें बिन्दु संख्या 1.2.2.1 एवं 1.2.2.2 के अनुसार ही रहेंगी |

2.2.13 जन आधार में सदस्य जोड़ने की संपूर्ण प्रक्रिया संलग्न ***यूजर मैनुअल – 2*** में विस्तार से समझायी गयी है ।

2.3 सत्यापन – सत्यापन की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 1.4 के अनुसार रहेगी ।

3. किसी एक जन आधार परिवार से विभाजित होकर नया जन आधार परिवार बनाया जाना :-

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुसार किसी जन आधार परिवार का मुखिया या परिवार का कोई भी अन्य वयस्क सदस्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रीतियों से अपनी सूचनाओं में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर परिवर्तन कर सकता है

3.1 परिवार विभाजन के कारण

किसी एक जन आधार परिवार से विभाजित होकर नया जन आधार परिवार निम्नलिखित कारणों से परिवार विभाजन किया जा सकता है –

3.1.1 ***विवाह*** – विवाह के कारण वर एवं वधु द्वारा अपने जन आधार परिवार से विभाजित होकर नया जन आधार परिवार बनाया जा सकता है

दस्तावेज- विवाह प्रमाण पत्र

3.1.2 ***तलाक/परित्यक्ता/विधवा*** – तलाक/परित्यक्ता/विधवा की स्थिति में नवीन परिवार बनाया जा सकता है

दस्तावेज-

तलाक- सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री

परित्यक्ता- विधिमान्य दस्तावेज

विधवा – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

3.1.3 ***अन्य कारण*** – परिवार विभाजन के स्पष्ट कारण का प्रार्थना पत्र, आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा | इस आधार पर सत्यापक की संतुष्टि होने पर परिवार का विभाजन किया जा सकेगा

दस्तावेज - स्वयं का आवेदन / प्रार्थना पत्र

3.2 अनुमति की आवश्यकता :-

3.2.1 **अवयस्क होने पर-** वर्तमान परिवार के मुखिया की अनुमति (अनुमति मोबाइल OTP अथवा बायोमेट्रिक द्वारा)

3.2.2 **वयस्क होने पर** – विभाजित होकर नए परिवार में जाने वाले सभी वयस्क सदस्यों की अनुमति (अनुमति मोबाइल OTP अथवा बायोमेट्रिक द्वारा)

3.3 परिवार का विभाजन की अन्य शर्तें :-

3.3.1 विभाजित सदस्यों में से, या तो एक सदस्य या पुराने परिवार का कम से कम एक सदस्य नए परिवार का मुखिया बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करता हो। केवल उसी स्थिति में परिवार का विभाजन किया जा सकता है

3.3.2 परिवार से विभाजित होकर नया परिवार बनाने वाले सभी सदस्यों की *ई-केवाईसी* आवश्यक है। यदि ई-केवाईसी नहीं है तो पहले -केवाईसी करें

3.3.3 यदि परिवार का विभाजन किया जा रहा है तो पूर्व परिवार के शेष रहे सदस्य अवयस्क नहीं होने चाहिए

3.3.4 केवल अवयस्क सदस्यों को पूर्व परिवार से अलग करके नया परिवार नहीं बनाया जा सकता ।

3.3.5 मुखिया के परिवार से विभक्त होने की स्थिति में विभाजन की प्रक्रिया के साथ-साथ मूल परिवार में नये मुखिया का चयन भी नियमानुसार किया जायेगा। उसके लिए परिवार के शेष रहे सदस्यों में से मुखिया बनने वाले सदस्य का बैंक खाता विवरण दर्ज करना आवश्यक है । बैंक खाता विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया को उस समय के लिए छोड़ा भी जा सकता है ।

3.3.6 बैंक खाता विवरण दर्ज नहीं होने की स्थिति में उस जन आधार को निष्क्रिय कर दिया जाएगा बैंक खाता विवरण दर्ज करने पर उस जन आधार को पुनः सक्रिय किया जाएगा ।

3.3.7 विभक्त होने वाले सदस्यों में से नियमानुसार मुखिया का चयन कराकर नया परिवार बनाया जायेगा जिसके लिए मुखिया बनने वाले सदस्य बैंक खाता विवरण दर्ज करना भी आवश्यक है ।

3.3.8 नए परिवार में परिवार के मुखिया के साथ सदस्यों का संबंध अपडेट करना अनिवार्य है। जन आधार पोर्टल के ड्राप डाउन में उपलब्ध संबंधो वाले सदस्यों से ही नया परिवार बनाया जा सकता है ।

3.4 परिवार का विभाजन की प्रक्रिया:-

3.4.1 जन आधार पोर्टल में दी गई ***Split Family*** की सुविधा के माध्यम से परिवार को विभाजित किया जा सकता

3.4.2 विभाजित सदस्यों को एक नई जन आधार परिवार आईडी प्रदान की जाती है, उनकी सदस्य आईडी अपरिवर्तित रहती है।

3.4.3 एक परिवार से नए परिवार में सदस्यों के विभाजन की जानकारी पोर्टल पर एक ही स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाती है।

3.4.4 नए/पुराने परिवार में परिवार के सदस्यों के साथ मुखिया से संबंध अपडेट किए जाएँगे।

3.4.5 परिवार के सदस्यों को भी उसी स्क्रीन पर विभाजित किया जा सकता है।

3.4.6 नए परिवार के सदस्यों के बैंक विवरण भी उसी स्क्रीन पर अपडेट किए जा सकते हैं

3.4.7 आवेदनकर्ता की पुष्टि के बाद, सत्यापन के लिए आवेदन जमा किया जाएगा।

3.4.8 परिवार के विभक्त होने की सूचना का संदेश मूल परिवार के मुखिया को जायेगा। परिवार का विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया संलग्न **यूजर मैनुअल – 3** में विस्तार से समझायी गयी है ।

3.5 सत्यापन – सत्यापन की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 1.4 के अनुसार रहेगी ।

4. किसी एक जन आधार परिवार से मुखिया अथवा सदस्यों का दूसरे जन आधार परिवार में स्थानांतरण एवं इसकी प्रक्रिया

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुसार किसी जन आधार परिवार का मुखिया या परिवार का कोई भी अन्य वयस्क सदस्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रीतियों से अपनी सूचनाओं में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर परिवर्तन कर सकता है।

4.1 परिवार स्थानांतरण के कारण

किसी एक जन आधार परिवार से मुखिया अथवा सदस्यों का दूसरे जन आधार परिवार में निम्नलिखित कारणों से स्थानांतरण किया जा सकता है –

4.1.1 ***गोद*** - जिस परिवार में गोद दिया गया है केवल उसी परिवार में स्थानान्तरण संभव

दस्तावेज- गोदनामा

4.1.2 ***विवाह*** – जिस परिवार में विवाह हुआ है केवल उसी परिवार में स्थानान्तरण संभव

दस्तावेज- विवाह प्रमाण पत्र

4.1.3 ***तलाक/परित्यक्ता/विधवा/विधुर*** – तलाक/परित्यक्ता/विधवा/विधुर की स्थिति में स्थानान्तरण किया जा सकता है अथवा संबंधों के आधार पर अन्य नवीन परिवार बनाया जा सकता है।

दस्तावेज-

तलाक- **सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री**

परित्यक्ता- **विधिमान्य दस्तावेज**

विधवा/विधुर – **पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र**

4.1.4 ***अन्य कारण*** – सदस्य/मुखिया के एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानांतरण का स्पष्ट कारण का प्रार्थना पत्र, आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा | इस आधार पर सत्यापक की संतुष्टि होने पर सदस्य/मुखिया का **स्थानान्तरण किया जा सकेगा**

दस्तावेज - स्वयं के आवेदन पर/ प्रार्थना पत्र ।

4.2 अनुमति की आवश्यकता :-

4.2.1 अवयस्क होने पर-

- जिस परिवार से स्थानान्तरित हो रहा है उस परिवार के मुखिया की अनुमति अनिवार्य।

- जिस परिवार में स्थानान्तरित हो रहा है उस परिवार के मुखिया की अनुमति अनिवार्य।

4.2.2 वयस्क होने पर -

- जिस परिवार से स्थानान्तरित हो रहा है उस परिवार के मुखिया की अनुमति की आवश्यकता नहीं
- जिस परिवार में स्थानान्तरित हो रहा है उस परिवार के मुखिया की अनुमति अनिवार्य

4.3 स्थानान्तरण की अन्य शर्तें :-

4.3.1 परिवार के स्थानांतरित सदस्यों की ई-केवाईसी आवश्यक है। यदि ई-केवाईसी नहीं है तो पहले ई-केवाईसी करें।

4.3.2 जिस परिवार से मुखिया अथवा सदस्य का स्थानांतरण किया जा किया जा रहा है उस परिवार के शेष रहे सदस्य अवयस्क नहीं होने चाहिए।

4.3.3 अवयस्क सदस्य का स्थानांतरण उस परिवार में नहीं किया जायेगा जिस परिवार में केवल अवयस्क सदस्य हो (किसी भी कारण से परिवार में अवयस्क रहने पर)।

4.3.4 जिस परिवार से मुखिया का स्थानांतरण किया जा किया जा रहा है उस परिवार के शेष रहे सदस्यों में से मुखिया बनने वाले सदस्य का बैंक खाता विवरण दर्ज करना आवश्यक है। बैंक खाता विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया को उस समय के लिए छोड़ा भी जा सकता है।

4.3.5 बैंक खाता विवरण दर्ज नहीं होने की स्थिति में उस जन आधार को निष्क्रिय कर दिया जाएगा बैंक खाता विवरण दर्ज करने पर उस जन आधार को पुनः सक्रिय किया जाएगा।

4.3.6 नए परिवार में परिवार के मुखिया के साथ स्थानांतरित सदस्यों का संबंध अपडेट करना अनिवार्य है। जन आधार पोर्टल के ड्राप डाउन में उपलब्ध संबंधो वाले सदस्यों को ही स्थानांतरण किया जा किया जा सकता है।

4.4 स्थानांतरण की प्रक्रिया:-

4.4.1 जन आधार पोर्टल में प्रदान किये गये विकल्प Transfer Member/HoF क्लिक कर एक जन आधार परिवार से दूसरे में जन आधार परिवार में मुखिया/सदस्य को स्थानांतरित किया जा सकता है।

4.4.2 एक परिवार से दूसरे परिवार में सदस्यों के स्थानांतरण की जानकारी एक ही स्क्रीन पर उपलब्ध है।

4.4.3 नए परिवार में परिवार के मुखिया के साथ स्थानांतरित सदस्यों का संबंध अपडेट करने का ऑप्शन उपलब्ध है।

4.4.4 संबंध अपडेट करने के बाद परिवार के सदस्यों को भी उसी स्क्रीन पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

4.4.5 पूर्वावलोकन स्क्रीन पर परिवार से आने वाले और आने वाले सदस्यों की नई संरचना प्रदर्शित होगी।

4.4.6 आवेदनकर्ता की पुष्टि के बाद, सत्यापन के लिए आवेदन जमा किया जाएगा।

4.4.7 परिवार स्थानांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया संलग्न ***यूजर मैनुअल – 4*** में विस्तार से समझायी गयी है ।

4.5 सत्यापन – सत्यापन की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 1.4 के अनुसार रहेगी ।